राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3064/2025

कपूर चन्द गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपलहेड़ा, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.06.2025
आदेश की दिनांक : 30.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी. शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक के पद पर दिनांक 06.12.1974 को हुई थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.09.2006 को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय एसीपी एवं ग्रेड–पे 4800/– रूपये पेबेन्ड–2 का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उक्त पे–बेन्ड का वेतन अपीलार्थी को नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने अपने नियोक्ता अधिकारी उपनिदेशक महोदय को प्रतिवेदन दिया। उन्होंने अपीलार्थी को दिनांक 30.01.2013 (अनुलग्नक–1) के द्वारा तृतीय एसीपी 4800/– रूपये पे–बेन्ड–2 में वेतन नियतन करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी को तृतीय एसीपी 4800/– पे–बेन्ड–2 में वेतन नियतन करने लेकिन उन्होंने उक्त पे ग्रेड में वेतन नहीं दिया तो अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिनांक 10.08.2013 एवं दिनांक 02.02.2014 (अनुलग्नक–2 व 3) के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा काफी अधिक समय गुजरने के पश्चात् भी दिनांक 30.01.2013 की पालना नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनुलग्नक–1 क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित महेश चंद को ग्रेड–पे 4800/– में फिक्स कर वेतन एरियर जनवरी, 2025 से दे दिया गया। उक्त तथ्य की

जानकारी अपीलार्थी को होते ही अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 10.02.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 30.01.2013 की अनुपालना में अपीलार्थी को तृतीय एसीपी 4800/– पे–बेन्ड–2 का लाभ दिया जाकर समस्त पारिणामिक लाभ आदेश पारित किये जाने की तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष